न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 06, मथुरा

सिविल अपील सं० 05/2019

तुलाराम आदि बनाम श्री राम वर्मा आदि

दिनांक–24.09.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अपीलांट उपस्थित व विपक्षी अनुपस्थित। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 20ग पर पूर्व में सुना गया।

प्रार्थी/अपीलांट की ओर से प्रार्थनापत्र 20ग इस आशय से दिया गया है कि अपील के रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 श्रीराम वर्मा कानपुर के निवासी है, जिनके बारे में पत्रावली पर मृत्यु हो जाने की सूचना दर्ज की गयी है, उक्त श्रीराम वर्मा इस अपील में कन्टेस्ट करने हेतु लंबे समय से नहीं आ रहे थे, यानि अपील को कन्टेस्ट नहीं कर रहे थे। फलतः उनकी मृत्योपरान्त उनकी वारिस कायमी से अवमुक्त किया जाना तथा उनके नाम के आगे औपचारिक तौर पर मृतक दर्ज किये जाने हेतु अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः तदनुसार अपीलांट ने अपील के शीर्षक में रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 श्रीराम वर्मा के सामने मृतक व अपील के आधार सं० 9 के उपरांत 9अ निम्नलिखित कायम किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र समर्थित शपथपत्र 21ग है।

रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

प्रार्थी/अपीलांट द्वारा रैस्पोन्डेण्ट सं० 1 श्रीराम वर्मा की मृत्यु होने के पश्चात उनके सामने मृतक अंकित किये जाने एवं रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 के वारिसान द्वारा अपील को कन्टेस्ट न करने के कारण उनकी वारिस कायमी से अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है। प्रस्तवित संशोधन वाद के निस्तारण हेतु आवश्यक प्रकृति का पाया जाता है। प्रस्तावित संशोधन से प्रतिकर वाद में लिए गए केस की मूल प्रकृति नहीं बदलती और न ही किसी पक्ष को कोई क्षति कारित होने वाली है, न ही नवीन वाद कारण उत्पन्न होता है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। अतः प्रार्थनापत्र 20ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 20ग स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अपीलार्थी आवश्यक संशोधन नियमानुसार अन्दर 7 दिन करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक ––––––– को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश

न्यायालय संख्या–06, मथुरा

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2025.09.24 17:10:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court